

1314040/30-8-2013

पत्रसंख्या- कम्प्यूटर-आईटी0 /2013-14 /रिटर्न अनुभाग /

641

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आईटी0 अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: 30 अगस्त-2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,

समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / कारपोरेट)

समस्त डिप्टी कमिशनर (कर निर्धारण)

समस्त असिस्टेन्ट कमिशनर (कर निर्धारण)

समस्त वाणिज्य कर अधिकारी (कर निर्धारण)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

व्यापारी / उद्यमी डीलर द्वारा दाखिल मासिक / त्रैमासिक रिटर्नों का गहन अनुश्रवण करापवंचन को रोकने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यापारी / उद्यमी द्वारा समय से रिटर्न दाखिल न करना इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि व्यापारी / उद्यमी द्वारा नियमित रूप से लेखे नहीं रखे जा रहे हैं और रिटर्न अपनी सुविधानुसार न्यूनतम सम्भव कर दायित्व स्वीकार करते हुये जमा किये जा रहे हैं। रिटर्न का समय से दाखिल न किया जाना इस कारण भी हो सकता है कि व्यापारी ने करापवंचन के उद्देश्य से पंजीयन प्राप्त किया है और कुछ समय बाद फर्म बन्द करने की मंशा रखता है। ऐसे व्यापारियों द्वारा बोगस / फर्जी टैक्स इनवाइस जारी किये जाने की सम्भावना रहती है और ऐसे इनवाइसों के आधार पर किसी अन्य व्यापारी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम भी प्राप्त करने के मामले समय- समय पर प्रकाश में आये हैं।

अतः समस्त व्यापारियों / उद्यमियों द्वारा समय से विधिक रूप से निर्धारित कर अवधि (मासिक / त्रैमासिक) का रिटर्न दाखिल किये जाने का अनुश्रवण समस्त कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस उद्देश्य हेतु NIC द्वारा निर्मित साफ्टवेयर में रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों की MIS रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट online विभागीय portal "comtaxup.nic.in" में " VYAS- MIS " रिपोर्ट्स के अन्तर्गत " Returns Not Filed Details (Marked)" से प्राप्त की जा सकती है अथवा यह रिपोर्ट विभागीय Intranet Portal Vyas Central के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है।

उपरोक्त MIS Reports की सुविधा को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है कि माह-सितम्बर की माह अक्टूबर में होने वाली मासिक समीक्षा बैठक से इन्ही MIS रिपोर्ट के आधार पर रिटर्न न फाइल करने वाले व्यापारियों व उनके सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप जिन व्यापारियों द्वारा रिटर्न फाइल नहीं किये गये हैं उनकी सूची विभागीय Internet Portal से या Intranet Vyas Central Portal से उपरोक्तानुसार प्राप्त कर उनका गहन अनुश्रवण सुनिश्चित करें व तदनुसार मासिक मीटिंग हेतु निर्धारित प्रारूप MPR-6 (STAT) " मासिक / त्रैमासिक कर रिटर्न विवरणी का दाखिला व कार्यवाही " में आवश्यक सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

इस तरह से रिटर्न फाइल न करने वाले डीलरों के प्रभावी अनुश्रवण करने में निम्न कारणों से कठिनाईयां आ सकती हैं :-

1- यदि मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक रिटर्न फाइल करने वाले व्यापारियों का सही प्रकार से चिन्हांकन नहीं किया गया है तो रिटर्न न फाइल करने वाली MIS रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण होगी। अतः यह सुनिश्चित किया जाय

ML

कि मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक रिटर्नों की त्रुटिहीन मार्किंग प्रत्येक दशा में 30 सितम्बर-2013 तक समस्त करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा कर ली जाय।

2- यदि Registration Cancellation के प्रार्थना पत्रों का त्वरित निस्तारण नहीं किया गया है तो ऐसे व्यापारियों का नाम भी रिटर्न फाइल न करने वाले व्यापारियों की MIS रिपोर्ट में सम्मिलित होगा। अतः ऐसे लम्बित प्रार्थना पत्रों का निष्ठारण त्वरित गति से सुनिश्चित किया जाय तथा दिनांक 30-09-2013 तक समस्त लम्बित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करते हुए उनके निरस्तीकरण का विवरण NIC व्यास साफ्टवेयर में अंकित करना समस्त खण्डाधिकारी सुनिश्चित करें।

3- यदि समाधान योजना अपनाने वाले पंजीकृत व्यापारियों का वार्षिक रिटर्न हेतु चिन्हांकन नहीं किया गया है तो ऐसे व्यापारियों का नाम भी रिटर्न फाइल न करने वाले व्यापारियों की MIS रिपोर्ट में सम्मिलित होगा। अतः ऐसे व्यापारियों की Return Frequency वार्षिक मार्क कराना सुनिश्चित किया जाय।

4- जिन व्यापारियों द्वारा वैट लगने के उपरान्त फार्म-7 व 8 दाखिल नहीं किये गये हैं उनके पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही अपेक्षित थी परन्तु यदि ऐसे व्यापारियों के टिन निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की गयी है तो उनका उल्लेख "Returns Not Filed Details (Marked)" की सूची में होगा। अतः ऐसे समस्त व्यापारियों के टिन निरस्तीकरण की कार्यवाही भी दिनांक 30-09-2013 तक सम्पादित कर उनके निरस्तीकरण का विवरण NIC व्यास साफ्टवेयर में अंकित करना समस्त खण्डाधिकारी सुनिश्चित करें।

अतः समस्त डिप्टी कमिशनर (कर निर्धारण) / असिस्टेन्ट कमिशनर (कर निर्धारण) / वाणिज्य कर अधिकारी (कर निर्धारण) प्रत्येक दशा में उपरोक्त समस्त विसंगतियों को दिनांक 30-09-2013 तक दूर कराना सुनिश्चित करें जिससे कि त्रुटिहीन रिटर्न न फाइल करने वाले व्यापारियों की रिपोर्ट उनको प्राप्त हो सके। उपरोक्त तिथि के बाद कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा व्यापारियों की Return Frequency में परिवर्तन अपने स्तर से करना सम्भव नहीं हो पायेगा। दिनांक 30-09-2013 के उपरान्त व्यापारियों की Return Frequency में परिवर्तन सम्बन्धित करनिर्धारण अधिकारी द्वारा समुचित कारण बताये जाने पर ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) द्वारा अपने Login Id से लिखित अनुमति के उपरान्त ही किया जाना सम्भव होगा।

रिटर्न न फाइल करने की रिपोर्ट तैयार करने में Centralized Server पर काफी Data Processing की आवश्यकता होती है। अतः Computer Command देने के बाद यह रिपोर्ट थोड़े समय पश्चात दिख सकती है विशेष कर जब Connectivity (Intranet / Internet) की स्पीड कम होगी तथा सर्वर पर लोड अधिक होगा। ऐसी परिस्थिति में आपको थोड़ा धीरज का परिचय देना होगा। यदि आप द्वारा यह पाया जाता है कि उपरोक्त MIS Report में कोई त्रुटि है तो अपना फीड बैक निम्नलिखित अधिकारियों / व्यक्तियों को उनके दूरभाष नम्बर व ई-मेल आईडी0 पर तुरन्त सूचित / प्रेषित करें जिससे कि रिपोर्ट की त्रुटियाँ दूर की जा सकें।

1- ज्वाइन्ट कमिशनर (आई0टी0)- 0522-2728182 E-mail Id- ctithqlu-up@nic.in

2- डिप्टी कमिशनर (आई0टी0)-0522-2728190 E-mail Id-comtax.suggestions@rediffmail.com

3- असिस्टेन्ट कमिशनर (आई0टी0)- 0522- 2720367

4- NIC डाटा सेन्टर HQ- 0522-2728198 E-mail Id-connectcommercial@gmail.com

5- NIC डाटा सेन्टर - 0522-2298817

6- Computer Helpline-0512-2583914 E-mail Id-cthelplinelu-up@nic.in

यहाँ यह बात सभी अधिकारियों को ध्यान में रखना आवश्यक है कि मेरे द्वारा वार्षिक मन्तव्य अंकित करते समय स्वमूल्यांकन में अंकित उपलब्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण आधार आनलाइन उपलब्धियाँ, जिन- जिन मामलों में व्यवस्था की गयी है, होगा।

मुझे विश्वास है कि आप NIC साफ्टवेयर द्वारा रिटर्न न दाखिल करने वाले व्यापारियों की महत्वपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर प्रभावी अनुश्रवण करते हुए करापवंचक व्यापारियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में सफल होंगे।

ML 30.8.2017
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।